झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–696 वर्ष 2017

राज कुमार गुप्ता .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य द्वारा उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड राज्य के सचिव
2.. निदेशक, उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार
3. उपायुक्त, देवघर
4. जिला खनन अधिकारी, देवघर
5. सहायक खनन अधिकारी, देवघर .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– मेसर्स ए0के0 दास, पूजा कुमारी, सैयद रमीज जफर, अधिवक्तागण

उत्तरदाता–राज्य के लिए :– श्री वी0के0 प्रसाद, एस0सी0 (एल एंड सी)

02 / 14.2.2017 याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. उत्तरदाता संख्या 5–सहायक खनन अधिकार, देवघर द्वारा जारी अनुलग्नक–8 पत्र संख्या 882 दिनांक 17.05.2016 के अनुसार, देवघर जिले में अजय नदी के मौजा निकंथ में बालु घाट का बंदोबस्त रू0 1,91,00,000 / – में किया गया था, को उसी नदी पर एक पुल के 500 मीटर के भीतर पाया गया, जिसके कारण, उक्त मौजा से बालु उठाना नियम के विपरीत था। इसलिए उक्त घाट से बालु उठाना बंद कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 5 के समक्ष भी अनुरोध किया कि या तो बयाना राशि को वापस किया जाए या मौजा खसरापेका और देवपुरा के पास बालु घाट आवंटित करें। याचिकाकर्ता के इस अनुरोध को उत्तरदाता संख्या 5 द्वारा उत्तरदाता संख्या 2–निदेशक, उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार को अनुलग्नक–8 पर रखे गए पत्र द्वारा सूचित किया गया था और उसके बाद पत्र दिनांक 13.06.2016 (अनुबंध–8/1) के द्वारा सूचित किया गया। हालांकि यह मामला एक ही स्तर पर टिकी हुई है, जो याचिकाकर्ता को इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया है ताकि उत्तरदाताओं को 12.11.2015 के समझौते और कार्य आदेश दिनांक 17.03.2015 के अनुसार पार्श्वस्थ व्यवहार्य और संभावित बालु घाट आवंटित करने या रू0 1,17,37,039/– की राशि ब्याज के साथ, जो सार्वजनिक नीलामी के समय और बालु घाट के बंदोबस्त के समय जमा किया गया था, को वापस करने का निर्देश दिया जा सका। झारखंड सरकार के उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग के सचिव, निदेशक, उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग, झारखंड सरकार और जिला अधिकारियों के समक्ष दायर अभ्यावेदन दिनांक 11.01. 2017 (अनुलग्नक–9) कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहा है।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों की स्थिति में, याचिकाकर्ता को इस महीने के अंत तक आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए शेष पट्टे का किराया देने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिका पिछले सप्ताह ही दायर की गई है, इसलिए, अभी तक निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालांकि, तथ्यों की स्थिति

में, जैसा कि रिकॉर्ड पर है, याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/उपायुक्त, देवघर से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

6.ऊपर दिए गए भौतिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को निपटाया जा रहा है, याचिकाकर्ता को यह छूट देते हुए कि वह सभी सहायक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारी/उपायुक्त, देवघर (प्रतिवादी संख्या 3) के समक्ष प्रस्तुत करके अपनी शिकायतों को उठा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी/उपायुक्त, देवघर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार करेगा और उचित समय के भीतर उस संबंध में निर्णय लेगा, अधिमानतः इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी/उपायुक्त, देवघर द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर, याचिकाकर्ता को शेष लीज राशि जमा करने या अन्यथा अग्रिम धन आदि वापस करने के लिए कहा जा सकता है यदि कोई कानूनी या संविदात्मक बाधाएं नहीं हैं।

8. रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि यह न्यायालय मामले के गुण–दोष में नहीं गया है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)